न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर
पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—44 / 2014 (2014 / 00023) वाद पत्र

उनवान

1—बंशीलाल आत्मज दल्ला खटीक निवासी नाथड़ियास तहसील रायपुर मृतक के बजाय
2—भंवरी पुत्री उदेराम पत्नि बंशीलाल खटीक निवासी नाथड़ियास तह0 रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1—राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2—भू प्रबन्ध अधिकारी महोदय, भू प्रबन्ध विभाग भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा
3—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. जाकिर हुसैन — **अधिवक्ता वादी**

निर्णय दिनांक 05.03.2020

पत्रावली आज में पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम नाथड़ियास तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी मे स्थित साबिक आराजी संख्या 18 / 4 रकबा 12 बीघा भूमि स्थित है। जिस पर वादीगण काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। वादीगण ने उक्त आराजी पर काफी अंग मेहनत कर लागत लगा कर कुए का निर्माण किया व भूमि को उपजाउ बनाया व आराजी के चारो तरफ थोहरो की बाड़ लगा रखी है। उक्त आराजी वादीगण द्वारा दिनांक 13.04.1992 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के तत्कालीन खातेदार चौथु आत्मज एकलिंगजी ढोली निवासी नाथड़ियास से कब्जा प्राप्त किया तब से ही वादीगण काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। विक्रयपत्र दिनांक 13.04.1992 की प्रति, पुरानी जमाबन्दी संवत 2049 से 2052 तक की व सवंत 2045 से 2048 तक की जमाबन्दी पेश की है। सन् 2000— 2001 में तहसील रायपुर का भू प्रबन्ध हुआ जिससे ग्राम नाथड़ियास का भी भू प्रबन्ध हुआ, भू प्रबन्ध के दौरान प्रतिवादी संख्या 2 के अधिकारियो व कर्मचारियो द्वारा बिना किसी विधिक आदेश के वादीगण के खाते को जमाबन्दी से हटा दिया गया तथा वादीगण के साबिक नम्बर 18 / 4 के मिलान खसरा में नवीन नम्बर कायम नही किये गये जबकि वादीगण मौके पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है भू प्रबन्ध के दौरान प्रतिवादी संख्या 2 के कर्मचारी व अधिकारी द्वारा वादीगण का खाता समाप्त कर देने पर वादीगण द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 के यहा आपत्ति पेश की गई, जिस पर भू प्रबन्ध विभाग के निरीक्षक, निरीक्षक राजस्व तथा पटवार हल्का नाथड़ियास, सरपंच नाथड़ियास एवं तहसीलदार रायपुर के साथ एक रिपोर्ट तैयार की गई, जिसमें धारा 136 एल.आर.एक्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य माना गया किन्तु प्रतिवादीगण द्वारा वादी के नाम भूमि दर्ज नही की गई है व वादीगण के कब्जे शुदा आराजियात को बिलानाम अकिंत कर दिया गया। भू प्रबन्ध विभाग द्वारा प्रार्थी के कब्जे शुदा भूमि के नवीन खसरा नम्बर 683 रकबा 0.01 है0, 684 रकबा 0.66 है0, 685 रकबा 1.74 है0, 687 रकबा 0.18 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 2.59 है0 कायम किये गये। तथा उक्त आराजी संख्या 683, 684, 685, 687 को वादीगण के नाम जमाबन्दी में दर्ज नही किये गये है। वादीगण की सादर प्रार्थना है कि घोषणात्मक डिक्री खातेदारी

अधिकार की बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण इस आशय की जारी फरमाई जावे कि ग्राम नाथड़ियास तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में स्थित आराजी संख्या 683, 684, 685, 687 कुल किता 4 कुल रकबा 2.59 है0 भूमि के वादीगण खातेदार काश्तकार है तदनुसार वादीगण का नाम बतौर खातेदार राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराया जावें। स्थाई निषेधाज्ञा वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण इस आशय की जारी फरमाई जावे कि ग्राम नाथड़ियास तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में स्थित आराजी संख्या 683, 684, 685, 687 कुल किता 4 कुल रकबा 2.59 है0 भूमि के वादीगण को प्रतिवादीगण बेदखल नही करे तथा वादीगण के शान्ति पूर्वक कब्जे काश्त में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न तो स्वयं करे न अन्य से करावें ओर उक्त आराजियात को किसी अन्य को आंवटन नही करे दौराने वाद कार्यवाही प्रतिवादीगण वादीगण को बेदखल कर देवे या अन्य किसी को आवटिंत कर देवे तो कब्जा पुनः वादीगण को दिलाई जावें।

प्रस्तुत वाद पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 28.05.2014 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना मे प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा वाद को अस्वीकार करते हुए निवेदन किया कि वादी द्वारा चाह गया खसरा नम्बर अत खसरा नम्बर 41 से बने है जबकि आवन्टी के नाम 18/4 दर्ज था प्रकरण खारीज योग्य है।

वादी अधिवक्ता द्वारा अपने वाद के समर्थन में साबिक जमाबन्दी संवत 2045 से 2052 की प्रमाणित प्रति पेश की गई साबिक नक्शा की प्रति पेश की गई एवं मिलान क्षेत्रफल तथा भू प्रबन्ध विभाग द्वारा एवं तहसीलदार रायपुर द्वारा मौका रिपोर्ट पेश की गई जो शामिल पत्रावली है।

पत्रावली में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए वादी अधिवक्ता द्वारा बहस की गई जिसमें निवेदन किया कि आवन्टी को जंहा कब्जा दिया गया था उसी दिन से उसी जगह काबिज ओर आवन्टी को मोके अनुसार खातेदारी अधिकार भी दिये गये है उस दौरान भी मोका जांच करके रिपोर्ट की गई थी अगर आवन्टित भूमि पर कब्जा नही था तो खातेदारी अधिकार कैसे दिया मोके पर खातेदारी के दोरान भी कब्जा आवन्टित भूमि पर था उसी अनुसार आवन्टि द्वारा वादी को भूमि विक्रय की गई ओर वादी मोके पर निर्विवाद रूप से काबिज तहसीलदार एवं भू प्रबन्ध विभाग द्वारा संयुक्त मौका जाचं आवन्टि का कब्जा आराजी संख्या 41 पर माना गया जिसके अनुसार प्रार्थना स्वीकार किया गया किन्तु राजस्व राजस्व रेकार्ड किन्याविति नही की गई है जिससे वाद पेश किया गया।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली में उपलब्ध साबिक रेकार्ड एवं नवीन रेकार्ड तथा मौका रिपोर्ट पर मनन किया तो पाया कि वादी द्वारा वादवर्णित भूमि क्रय की गई है ओर जंहा पूर्व आवन्टित काबिज था उसी जगह वादी काबिज है। तहसीलदार रायपुर द्वारा अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट अंकन किया कि वादवर्णित भूमि श्री चौथु को सवंत 2029 में आवंटन हुई उसके बाद वर्ष 1992 में वादी द्वारा भूमि क्रय की गई है ओर वर्तमान में वादी नवीन भू प्रबन्ध के दोरान कायम खसरा नम्बर 683, 684, 685, 687 कुल किता 4 कुल रकबा

2.59 है0 पर काबिज हो काश्त कर रहा है ओर आराजी नम्बर 685 रकबा 1.74 है0 मे एक नया कुआं भी वादी द्वारा खोदा गया है जो पक्का बन्धा हुआ है ओर उक्त भूमि पर आवन्टि एवं वादीगण का लगातार कब्जा चला आ रहा है ऐसी स्थिति में वादीगण द्वारा भूमि क्रय की गई है मौंके पर कब्जा है जिसके आधार पर वादी का वाद स्वीकार किया जाना न्यायहित में उचित है।

आदेश

अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम नाथड़ियास तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी मे स्थित नवीन खसरा नम्बर 683 रकबा 0.01 है0, 684 रकबा 0.66 है0, 685 रकबा 1.74 है0, 687 रकबा 0.18 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 2.59 है0 भूमि का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तद्नुसार अंतिम डिक्री जारी हो। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को लिखा जावें।

निर्णय आज दिनांक 05.03.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

5.3.2020

सुन्दरलाल बम्बोड़ा
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

मूल वाद मे डिक्री

(आदेश 20 रूल्स 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः–श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–44/2014 (2014/00023) वाद पत्र

उनवान

1–बंशीलाल आत्मज दल्ला खटीक निवासी नाथड़ियास तहसील रायपुर मृतक के बजाय

2–भंवरी पुत्री उदेराम पत्नि बंशीलाल खटीक निवासी नाथड़ियास तह0 रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1–राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

2–भू प्रबन्ध अधिकारी महोदय, भू प्रबन्ध विभाग भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

3–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 89, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वादीगण का वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम नाथड़ियास तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी मे स्थित नवीन खसरा नम्बर 683 रकबा 0.01 है0, 684 रकबा 0.66 है0, 685 रकबा 1.74 है0, 687 रकबा 0.18 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 2.59 है0 भूमि का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तद्नुसार अंतिम डिक्री जारी हो। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को लिखा जावें।

वाद में डिक्री आज दिनांक 05.03.2020 को न्यायालय मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।

5.3.2020

(सुन्दरलाल बम्बोडा)

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)

रायपुर जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda

Date: 2020.03.12 15:33:57 IST

Reason: SelfAttested

Location: